

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 28/2022

(Bank Case)

GCMS No. 2022/62

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय:- सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय - घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.)
जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार योगी।

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. सुनील पंचौली पुत्र श्री पुरषोत्तम लाल पंचौली - (ऋणी / बंधककर्ता)
पता:- मकान नं.- 1 भ 18, ज्योति मंदिर मार्ग, दादाबाडी, कोटा- 324005 (राज.)
2. सुनीता पंचौली पुत्री श्री रामस्वरूप शर्मा - (सहऋणी / बंधककर्ता)
पता:- मकान नं.- 1 भ 18, ज्योति मंदिर मार्ग, दादाबाडी, कोटा- 324005 (राज.)
3. उर्मिला पंचौली पत्नी पुरषोत्तम लाल पंचौली
पता:- मकान नं.- 1 भ 18, ज्योति मंदिर मार्ग, दादाबाडी, कोटा- 324005
4. मै. सोमेश ओटोमोबाइल्स
पता:- दुकान नं. 09, ग्राउण्ड फ्लोर, भारत कॉम्प्लेक्स, कोटा- 324009 (राज.)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री नरपतसिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 30-5-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं एच.डी.बी.फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय:- सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय- घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) में स्थित है, से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जरिये अनुबन्ध संख्या 3287880, दिनांक 31.12.2017 को कुल रूपये 29,36,044/- (अक्षरे: रूपये उनतीस लाख छत्तीस हजार चवालीस मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं० 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति मकान नं.- 1 भ 18, ज्योति मंदिर मार्ग, दादाबाडी, तहसील- लाडपुरा, कोटा- 324005 (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 65.9055 वर्ग मीटर है, जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में- रोड, पश्चिम में- 1 भ 23, उत्तर में- 1 भ 17, दक्षिण में- 1 भ 19 है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 04.06.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 34,08,372/- (अक्षरे रूपये चौतीस लाख, आठ हजार, तीन सौ

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

बहत्तर रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 22.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 22.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 22.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत को दिनांक 22.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति मकान नं.- 1 भ 18, ज्योति मंदिर मार्ग, दादाबाडी, तहसील- लाडपुरा, कोटा- 324005 (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 65.9055 वर्ग मीटर है, जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- रोड, पश्चिम में- 1 भ 23, उत्तर में- 1 भ 17, दक्षिण में- 1 भ 19 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 30.5.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)